

आदेश अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6763 दिनांक 05.08.2020 द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के तेजी से हो रहे प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए जिले के विभिन्न कस्बों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार व रविवार को जीरो मोबिलिटी हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।



(निकुया गोहाएन)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

दिनांक 13.08.2020

क्रमांक / न्याय / कोरोना / 6932, 33

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2- अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज. जयपुर
- 3- संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा
- 4- महानिरीक्षक पुलिस रैंज कोटा

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
2. अति० जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड / भवानीमंडी / अकलेरा / मनोहरथाना / खानपुर / पिडावा / असनावर / गंगधार
5. उप पुलिस अधीक्षक झालावाड / खानपुर / अकलेरा / मनोहरथाना / पिडावा / भवानीमंडी / गंगधार
6. मैनेजर रीको झालावाड
7. डीन मेडिकल कालेज झालावाड / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड
8. जिला परिवहन अधिकारी 9 महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र
- 9- तहसीलदार, समस्त झालरापाटन / बकानी / असनावर / खानपुर / अकलेरा / मनोहरथाना / पिडावा / सुनेल / रायपुर / डग / पचपहाड / गंगधार
- 10- विकास अधिकारी पंचायत समिति झालरापाटन / भवानीमंडी / अकलेरा / म०थाना / बकानी / खानपुर / सुनेल डग
- 11- आयुक्त नगर परिषद झालावाड
- 12- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका झालरापाटन / भवानीमंडी / अकलेरा / पिडावा
- 13- सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झालावाड
- 14- प्रभारी अधिकारी कोरोना नियंत्रण कक्ष स्थानीय कार्यालय
- 15- नोडल अधिकारी जन कल्याण पोर्टल मुख्य आयोजना अधिकारी, झालावाड

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड